<u>आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर</u>

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –240/2022
सुधीर कुमार
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

<u>आदेश</u>

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
01.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 15562/2021 में दिनांक–22.09.2022 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। प्रस्तुत मामला अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अनुज्ञप्ति से संबधित है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश निम्न प्रकार है :– **"Should the petitioner approach the Divisional Commissioner with a suitable representation/complaint within a period of fifteen days, he shall look into the matter and after giving hearing to all the concerned parties, shall pass a final order within a further period of sixty days, giving reasons in support of the decision taken by him."** अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उनके (अपीलकर्ता) पिता जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे। जिनका अनुज्ञप्ति सं0–67/2011 है। अपीलकर्ता के पिता स्व0 रामश्रेष्ठ प्रसाद की मृत्यु 04.11.2020 को हो गयी। स्व0 रामश्रेष्ठ प्रसाद अपने पिछे पत्नी, एक पुत्र एवं चार पुत्री को छोड़कर मर गये। पिता की मृत्यु के बाद अपीलकर्ता ने दिनांक 05.12.2020 को अनुकम्पा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दिया। आवेदन की जाँच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने की एवं अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया की स्व0 रामश्रेष्ठ प्रसाद की मृत्यु 58 वर्ष से कम उम्र मे हुई है, इसलिए अपीलकर्ता को अनुकम्पा अनुज्ञप्ति दिया जा सकता है। इसके बाद जिला स्तरीय चयन समिति, सीतामढ़ी	

WEB COPY NOT OFFICIAL

द्वारा इनके पिता स्व0 रामश्रेष्ठ प्रसाद की उम्र मतदाता पहचान–पत्र पर 66 वर्ष होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे कहना है कि जिला स्तरीय चयन समिति ने साक्ष्यों का अवलोकन किये बगैर इनकी उम्र (अपीलकर्ता के पिता) मतदाता सूची मे 66 वर्ष होने के कारण अस्वीकृत कर दिया, जो गलत है। स्व0 रामश्रेष्ठ प्रसाद की जन्म तिथि 01.01.1963 एवं इनकी मृत्यु 04.11.2020 को हुआ। जिनका वास्तविक आयु 57 वर्ष 10 महिना एवं 05 दिन हो रहा है, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा विधालय परित्याग प्रमाण–पत्र से भी स्पष्ट है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा भी कर दिया परंतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया जो गलत है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार मतदाता सूची में अपीलकर्ता की आयु 66 वर्ष है, जिस कारण जिला अनुकम्पा समिति ने अपीलकर्ता के अनुकम्पा अनुज्ञप्ति हेतु दिये गये आवेदन को अस्वीकृत कर दिया है, जो सही है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामला अनुकम्पा अनुज्ञप्ति से संबंधित है। अपीलार्थी के पिता जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 04.11.2020 को हुई। उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति ने अपीलार्थी के पिता स्व0 रामश्रेष्ठ प्रसाद की आयु 58 वर्ष से अधिक (66 वर्ष) होने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिये गये अनुकम्पा अनुज्ञप्ति आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उम्र के प्रमाण के रूप में पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं विद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र को आधार बनाया गया है। अनुज्ञप्तिधारी स्व0 रामश्रेष्ठ प्रसाद की आयु की प्रमाणिकता के लिए इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2023 द्वारा अपीलकर्ता (श्री सुधीर कुमार) के विद्वान अधिवक्ता को इस संबंध में उनसे PAN Apply करने की तिथि, जो I.T Department के यहां electronic record में रहता है, को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया परन्तु उनके द्वारा इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सका। पुनः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2023 द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उनका Bank details एवं अन्य साक्ष्य समर्पित करने हेतु दिनांक 31.03.2023 तक

WEB COPY NOT OFFICIAL

की समय की मांग की, जिसे स्वीकार किया गया। उनके (अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता) द्वारा दिनांक 31.03.2023 को बैंक पासबुक की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति एवं आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने स्व0 रामश्रेष्ठ प्रसाद के विधालय परित्याग प्रमाण–पत्र के विषय में बताया है, जो उम्र की प्रमाणिकता के लिए अत्यावश्यक है, परन्तु इसका कोई साक्ष्य उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उनके द्वारा जो नया मतदाता पहचान पत्र समर्पित किया गया है उसमें निर्गत की तिथि दिनांक 02.10.2020 है अर्थात मृत्यु से मात्र 01 वर्ष पूर्व का है, जो संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि पूर्व में मतदाता सूची में स्व0 रामश्रेष्ठ प्रसाद की आयु 66 वर्ष पाया गया है, जिस आधार पर अपीलकर्ता के अनुकम्पा अनुज्ञप्ति आवेदन को जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अस्वीकृत किया गया है। उपरोक्त स्थिति में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता स्व0 रामश्रेष्ठ प्रसाद के सही जन्म तिथि को साबित करने में असफल रहे है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति, सीतामढ़ी के अनुकम्पा अनुज्ञप्ति हेतु लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL